मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक– 347313ए /पटना,दिनांक– 19.01.21

प्रेषक,

ई0 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा
मुख्य अभियंता–2

सेवा मे,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, **मधेपुरा।**

विषय:– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **सुपौल** के अधीन शीर्ष **GTSNY** योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल **01 (एक)** अदद पथ के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबध मे।

प्रसंग:– आपका पत्रांक–**22** अनु0 दिनांक–**07.01.2021 एवं विभागीय पत्रांक–2327 दिनांक–29.12.20**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल कुल **01 (एक)** अदद पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ **का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग** तथा **प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र** के परिशिष्ट 'क' के क्रमशः **स्तम्भ–3, 5 से 8 एवं 9 से 12** में अंकित है।

2. **पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है,** जो कि पत्र के परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **05 से 08** में अंकित है।
3. निर्माण कार्य **GTSNY योजना** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन की जॉच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के अवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
6. अधीक्षण अभियंता पथो का निरीक्षण प्रतिवेदन एव कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वी तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
8. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, **मधेपुरा** ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सडक मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आडी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
11. **मूल तकनीकी स्वीकृति प्रद्त प्राक्कलन इस पुनरीक्षित प्राक्कलन का भाग होगा।**
12. पत्र के साथ **प्रावैधिक टिप्पणी** की प्रति संलग्न है।

अनु0– परिशिष्ट ''क'' एवं स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 19/1/21
मुख्य अभियंता–2

D:\TA TS\TS\Revised GTSNY.Docx